यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के माह 11/2016 से 01/2018 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 17.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 11.11.2016 से 25.11.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद नैनीताल के अन्तर्गत संचालित राजकीय चिकित्सालय यथा सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के अन्तर्गत है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	114.17	96.40	856.77	694.59	–	17.77	–	162.18
2016–17	–	–	92.26	78.71	629.60	541.92	–	13.55	–	87.68
2017–18 (01/2018 तक)	–	–	70.37	59.80	925.03	832.65	–	10.57	–	92.38

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	एन0एच0एम0 इत्यादि	619.78	1783.51	1885.30	–	517.99
2016–17		517.99	1902.06	1782.05	–	638.00
2017–18 (01/2018 तक)		638.00	1030.28	822.89	–	845.39

(iii) इकाई को विभागीय बजट आबंटन महानिदेशक के स्तर से तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वाथ्य

⇩

सचिव/अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

⇩

महानिदेशक

⇩

निदेशक

⇩

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

⇩

चिकित्सा अधीक्षक

⇩

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

⇩

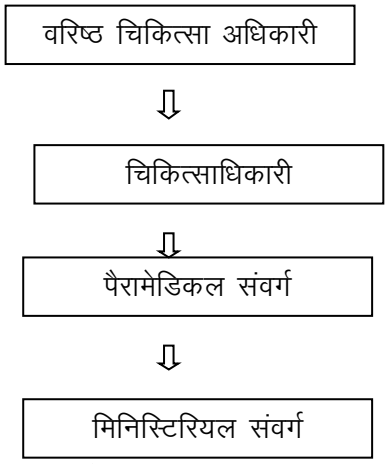

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अक्टूबर 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 विभागीय अकर्मण्यता के कारण रु0 152.00 लाख का अवरोधन।

बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0एच0सी0ई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद नैनीताल के जिला चिकित्सालय में जिरिएटिक वार्ड स्थापित करने हेतु 80 प्रतिशत केन्द्रांश के रुप में स्वीकृत धनराशि रु0 47.00 लाख के सापेक्ष रु0 37.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (27.12.2010), जिसमें रु0 32.00 लाख निर्माण, मरम्मत, फर्नीचर, ओ0पी0डी0 सर्विस तथा रु0 5.60 लाख मशीन एवं उपकरण के लिए व्यय किया जाना था तथा कैंसर, मधुमेह, सी0वी0डी0 और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) के अन्तर्गत कार्डिक केयर यूनिट स्थापना हेतु रु0 120.00 लाख अवमुक्त की (27.12.2010)। महानिदेशालय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल को रु0 292.30 लाख[1] अवमुक्त किए (30.06.2011, 01.02.2012 एवं 24.05.2012), जिसमें जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना की धनराशि रु0 157.60 लाख भी सम्मिलित थी। बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना, स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान एवं देखभाल करना था तथा कैंसर, मधुमेह, सी0वी0डी0 और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गैर संचारी रोगों (एन0सी0डी0) के शीघ्र निदान, प्रबन्धन, सामान्य एन0सी0 डी0 की रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि समय पर उचित निर्णय न लिए जाने एवं वस्तुस्थिति स्पष्ट न किए जाने के परिणामस्वरुप जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना हेतु प्राप्त धनराशि रु0 152.00 लाख विगत सात वर्ष से भी अधिक समय से अवरुद्ध पडी हुई थी, जिसके कारण जनपद की जनसंख्या एवं पर्यटकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी इन कार्यक्रमों के लाभ से बंचित होना पडा। जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना हेतु कार्यालय द्वारा अद्यतन की गयी कार्रवाई एवं विस्तृत विवरण निम्नवत् थाः–

1. कार्यालय द्वारा जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना हेतु प्राप्त धनराशि रु0 152.00 लाख (जिरिएटिक वार्ड : रु0 32.00 लाख एवं कार्डिक केयर : रु0 120.00 लाख) चैक सं0 872604 एवं 872607 द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला पुरुष चिकित्सालय, नैनीताल को प्रेषित की गयी (01.11.2012)। चिकित्सालय में समुचित स्थल उपलब्ध न होने के कारण प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा धनराशि अगले दिन ही वापस कर दी गयी (02. 11.2012)।

2. एक वर्ष पश्चात् प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिकित्सालय में पुराने जीर्ण–क्षीर्ण कार्यालय एवं अस्थि रोग क्लीनिक के भवनों का ध्वस्तीकरण कर उक्त स्थल पर कार्डिक केयर यूनिट एवं

[1] 30.06.2011 : रु0 98.36 लाख, 01.02.2012 : रु0 81.59 लाख तथा 24.05.2012 : रु0 112.35 लाख

जिरिएटिक वार्ड के निर्माण हेतु महानिदेशालय से अनुरोध किया (13.12.2013), जिस पर अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की गयी (08.01.2014) तथा नये कक्षों का निर्माण पूर्ण कर नये भवन में चिकित्सालय कार्यालय स्थानान्तरित किया गया (जनवरी 2015)।

3. चिकित्सालय कार्यालय नये निर्मित भवन में स्थानान्तरित होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा प्रस्तावित स्थल में निर्माण हेतु कार्रवाई किए जाने के विपरीत अवरुद्ध पडी धनराशि रु0 200.14 लाख, जिसमें जिरिएटिक/कार्डिक केयर यूनिट निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रु0 152.00 लाख भी सम्मिलित थी, महानिदेशालय को चैक संख्या 767075 के माध्यम से वापस की गयी (27.03.2015)। तथा मशीन एवं उपकरण हेतु प्राप्त राशि रु0 5.60 लाख चिकित्सालय को व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त की गयी। महानिदेशालय द्वारा भारत सरकार से अनुमति न मिलने के कारण पुनः उक्त धनराशि कार्यालय को जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट निर्माण हेतु वापस की गयी (30.05.2015)।

4. इस बीच प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पुराने जीर्ण–क्षीर्ण कार्यालय एवं अस्थि रोग क्लीनिक के भवन के स्थान पर कार्डिक केयर यूनिट एवं जिरिएटिक वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव महानिदेशालय को प्रेषित किया गया (20.03.2015) तथा शासन के निर्देशानुसार (12.12.2015) उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था नियुक्त कर रु0 4.09 लाख की धनराशि चैक संख्या 767088 द्वारा कंसल्टैन्सी हेतु अवमुक्त की गयी (24.02.2016), जिसमें सर्वे, मृदा परीक्षण, ड्राईग तथा डिजाइन एवं विस्तृत आगणन तैयार किया जाना था।

5. कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 4.09 लाख के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया (22.06.2016) तथा रु0 184.24 लाख की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रेषित की गयी (16.06.2016), जिसको स्वीकृति प्रदान करने हेतु महानिदेशालय को प्रेषित की गयी (22.06. 2016), जिस पर लेखापरीक्षा अवधि अर्थात फरवरी 2018 तक स्वीकृति अपेक्षित थी।

6. मशीन एवं उपकरण हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 5.60 लाख के सापेक्ष चिकित्सालय द्वारा रु0 4.26 लाख मार्च 2013 में व्यय किया गया जबकि निर्माण का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इसप्रकार, बिना बुनियादी सुविधा उपलब्ध हुए रु0 4.26 लाख की मशीन एवं उपकरण क्रय किया गया।

7. कार्यालय द्वारा कार्डिक केयर यूनिट निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रु0 120.00 लाख पंजाब नैशनल बैंक में बचत खाता सं0 2717000100123172 एवं जिरिएटिक वार्ड हेतु प्राप्त राशि रु0 32.00 लाख खाता सं0 2717000100132596 में रखा गया है।

8. जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना न किए जाने के कारण महानिदेशालय द्वारा अन्य स्थल भवाली सेनिटोरियम में प्रस्तावित मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल में ही जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना हेतु निर्देशित किया गया परन्तु वस्तुस्थिति लेखापरीक्षा अवधि अर्थात फरवरी 2018 तक पूर्ववत ही थी एवं धनराशि बैंक में ही अवरुद्ध रखी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि स्थल उपलब्ध न होने के कारण निर्माण नहीं किया गया, जिस हेतु अथक प्रयास किए गये तथा

समय–समय पर वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया परन्तु कोई अन्तिम निर्णय न हो पाने के कारण वर्तमान में भवाली सेनिटोरियम में प्रस्तावित मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल में जिरिएटिक वार्ड एवं कार्डिक केयर यूनिट की स्थापना की जानी है जिसके पश्चात् धनराशि का उपयोग किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि चिकित्सालय में समुचित स्थल उपलब्ध नहीं था या अन्य कोई वाधाऐं थी तो इसका संज्ञान पूर्व में ही लिया जाना चाहिए था तथा भारत सरकार की पूर्व अनुमति से अन्य स्थल में इस धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए था, जैसा कि वर्तमान में स्थल परिवर्तन किया गया। परन्तु कार्यालय द्वारा ऐसा न कर न केवल धनराशि अवरुद्ध रखी गयी अपितु बुजुर्गों एवं जन सामान्य को भी सात वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभों से वंचित रखा गया।

अतः विभागीय अकर्मण्यता के कारण रु0 152.00 लाख के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 63.61 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु थर्ड पार्टी प्रशासक एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।

3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि जनपद नैनीताल में शासकीय चिकित्सालयों में योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–। में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई के साथ 01 अप्रैल 2015 तथा फेस–।। में बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना के साथ 01 अगस्त 2016 से समझौता किया गया जिसमें क्रमशः 70,805 एवं 43,692 लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गये। जॉच में पाया कि दोनों बीमा कम्पनियों द्वारा प्रतिपूर्ति के 768 दावों को निरस्त किया गया जिसके परिणामस्वरुप शासन को रु0 63.61 लाख की धनराशि की शुद्व हानि हुई। दोनों बीमा कम्पनियों को प्रस्तुत दावे, भुगतानित दावे एवं निरस्त दावों का विवरण निम्नवत् हैः–

बीमा कम्पनी	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे		प्रगतिरत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	7233	46015595	5382	24324891	374	2576127	1477	19114577
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	9169	76483533	5903	28107019	394	3784860	2872	44591654
योगः–	**16402**	**122499128**	**11285**	**52431910**	**768**	**6360987**	**4349**	**63706231**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि निर्धारित समयावधि में दावे के प्रपत्रों को अपलोड करने में विलम्ब था। जिसका कारण नेटवर्क का समय–समय पर उपलब्ध न होना, प्रपत्रों का अपूर्ण रहना था। इसप्रकार, चिकित्सालय द्वारा 768 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार/निरस्त किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 63.61 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 63.61 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो - ब

प्रस्तर 3: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभा र्थयों एवं आशाओं को रु. 189.06 लाख का अनिय मत भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी नैनीताल के प्रा धकार क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशन के अंतर्गत संचा लत जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (जनवरी 2018) में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे कुल 22014 संस्थागत प्रसव हुए जिनमे से 15251 लाभा र्थयों को रु. 196.81 लाख एवं 13041[2] आशा कार्यकर्तियों को रु. 70.49 लाख का भुगतान कया गया था। इन भुगतानों का वस्तृत ववरण निम्नवत है-

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.6–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2016–17	ग्रामीण	7912	2021	5201	7222	10110800	2829400	7281400
	शहरी	4261	2352	508	2860	2860000	2352000	508000
2017–18 (01/2018)	ग्रामीण	6525	1000	2852	3852	5392800	1400000	3992800
	शहरी	3316	1242	75	1317	1317000	1242000	75000
योगः–	**ग्रामीण**	**14437**	**3021**	**8053**	**11074**	**15503600**	**4229400**	**11274200**
	शहरी	**7577**	**3594**	**583**	**4177**	**4177000**	**3594000**	**583000**
महायोगः		**22014**	**6615**	**8636**	**15251**	**19680600**	**7823400**	**11857200**

[2] शहरी क्षेत्र :3879; ग्रामीण क्षेत्र :9162

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (01/2018) मे कुल 22014 संस्थागत प्रसव हुए परंतु भुगतान केवल 15251 लाभा र्थयों को ही कया गया था। अतः गणना का आधार 15251 लाभा र्थयों की संख्या है।

आगे अ भलेखों की जांच मे पाया गया क वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (01/2018) में लाभा र्थयों एवं आशाओं को कया गया रु. 189.06 लाख [लाभा र्थयों को भुगतानः रु. 118.57 लाख, आशाओं को भुगतानः रु. 70.49 लाख] का भुगतान जे. एस. वाई. योजना के दिशा-निर्देशों के वपरीत था, जिसका ववरण निम्नवत है-

1. संस्थागत प्रसव कराने वाली 8636 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 118.57 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
2. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 70.49 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार योजना के अधीन प्रोत्साहन नि ध वतरण हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन - .करते हुए लाभा र्थयों एवं आशाओं को रु189.06 लाख का भुगतान कया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जिला धकारी नैनीताल की अध्यक्षता एवं मुख्य च कत्सा धकारी नैनीताल की उपस्थिति मे दिनांक 22.01.2014 को सम्पन्न जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठक मे चरणबद्ध एव क्र मक रुप से मातृमृत्यु दर (MMR) को कम करने का लक्ष्य निर्धारित कया गया और प्रत्येक आशाओं को बैठकों के दौरान लाभा र्थयों व उनके परिजनों को संस्थागत प्रसव के लए प्रेरित करने हेतु निर्दे शत कया गया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने के बावजूद भी जननी सुरक्षा योजना के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया जा सका। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है क कुल प्रसव संख्या के सापेक्ष 48 घंटे तक रुकने वाले संस्थागत प्रसवों की संख्या 30 प्रतिशत मात्र थी, जो क जेईएसवाई योजना में निहित प्रस वनी के सुरक्षा मानदंडों के प्रति स्वस्थ्य केन्द्रों के श थलता को प्रद र्शत करता है।

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त के बारे में पूछे जाने पर मुख्य च कत्सा अ धकारी ने आप त्त को स्वीकार करते हुए बताया क लाभा र्थयों को प्रसव के पश्चात उनके अनुरोध पर ही डस्चार्ज कया जाता है और आशाओं की भुगतान की रा श अल्प होने के कारण एकमुश्त भुगतान कया जाता है। 48 घण्टे रूकने के बारे में इकाई ने उत्तर दिया क ग्रामीण महिलाएँ पारिवारिक कारणों से 48 घण्टे नहीं रूकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क योजना के अधीन प्रोत्साहन नि ध के ववरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभा र्थयों को भुगतान कया जाना चाहिए था। इस प्रकार योजना में निर्धारित शर्तो के अनुपालन न कये जाने पर उनको देय भुगतान अनिय मत था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के दिशा निर्देशों के वपरीत प्रोत्साहन नि ध वतरण-हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते- हुए लाभा र्थयों एवं आशाओं को रु .189.06 लाख का अनिय मत भुगतान कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 7.23 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुई हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII–3–2013– 142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों का वेतन उच्चीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के दिशा– निर्देश के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण दिनॉक 31.12.2015 की स्थिति को लेते हुए वेतन + ग्रेड वेतन को 2.57 गुणांक से गुण किया जाएगा। इसप्रकार प्राप्ति राशि नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इसप्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका को संशोधित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया किः–

1. तीन फार्माशिष्टों (श्री ललित प्रसाद ढौडियाल, श्री सुरेश चन्द एवं श्री के0एस0 जोशी) का वेतन दिनॉक 31 दिसम्बर 2013 के अनुसार नहीं किया गया था बल्कि कार्यालय द्वारा उक्त समस्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण ग्रेड वेतन के न्यूनतम के आधार पर किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण था। परिणामतः रु0 6,19,295 का अधिक भुगतान किया गया।

2. श्री जी0डी0 कर्नाटक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं श्रीमती भावना पन्त, कनिष्ठ सहायक का 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण माह जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार किया गया जबकि नियमानुसार वेतन निर्धारण 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार होना चाहिए था। परिणामतः उक्त कार्मिकों को माह जनवरी 2016 से जनवरी 2018 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन के रुप में रु0 1,03,437 का वेतन अधिक दिया गया।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप पॉच कार्मिकों को रु0 7.23 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि वेतन निर्धारण शासनादेशों में निर्गत निर्देशों के अनुसार ही किया गया है फिर भी प्रकरण संज्ञान में आने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुनः समीक्षा कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किए गये हैं एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 7.23 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

स्टैन

प्रस्तर 1: रु. 3.10 लाख की दावारहित **(unclaimed)** धनरा श को नियानुसार राज्य के **Consolidated Fund** मे **lapsed deposit** के रूप में जमा नहीं कराया जाना।

प्राप्ति एवं भुगतान नियम संख्या- 189(b) प्रावधानित करता है क - all deposits or balances in excess of the aforesaid amount, unclaimed for more than three complete account years, shall be credited to the Government under the Consolidated Fund, keeping necessary note in the register of deposits."

कार्यालय मुख्य च कत्सा अ धकारी, नैनीताल के रोकड़-बही एवं संबन्धित अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया क 2012 से 2015 के बीच रु. 3.10 लाख की धनरा श दावारहित (unclaimed) पड़ी हुई थी जिसे नियानुसार राज्य के Consolidated Fund मे जमा कराया जाना चाहिये था। इस प्रकार की धनरा श का ववरण निम्नवत था-

क्रम संख्या	सीडीआर/एफ़डीआर संख्या	ति थ	धनरा श
1	0150498	24.06.2010	20000.00
2	6508705	16.11.2015	20000.00
3	0218612	12.08.2011	20000.00
4	6508708	16.11.2015	20000.00
5	343756	10.12.2014	20000.00
6	124596	10.09.2012	10000.00
7	CBOI 124595	10.09.2013	10958.00
8	NDCBL 13459	10.09.2013	10900.00
9	NAKGB 224302	10.09.2013	10931.00
10	NDCBL 95986	10.09.2013	10900.00
11	AUCO 0265297	10.09.2013	5475.00
12	TNBL 274092	10.09.2013	5000.00
13	*TNBL 504180 (CQ)*	*10.09.2012*	*5000.00*
14	CBOI 124596	10.09.2013	10958.00
15	*PNB 449076(CQ)*	*10.09.2012*	*5000.00*
16	*PNB 449077(CQ)*	*10.09.2012*	*5000.00*
17	NAKGB 224301	10.09.2012	10000.00
18	95985	10.09.2012	10000.00
19	224302	10.09.2012	10000.00
20	95986	10.09.2012	10000.00
21	058167	02.06.2006	50000.00
22	0265297	10.09.2012	5000.00
23	A1 00B5927D	10.09.2012	5000.00
24	274092	10.09.2012	5000.00
25	504180	10.09.2012	5000.00
26	449076	10.09.2012	5000.00
27	449077	10.09.2012	5000.00
		योग	310122.00

उपरोक्त के संबंध मे पुछे जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बतलाया क जमानत रा श की सम्बन्धित लोगों द्वारा मांग की गई एवं उच्चा धकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर स्वयं मे वरोधाभासी है-यदि जमानत रा श की मग की गई थी तो अब तक वापस लौटा दिया जाना चाइए था अन्यथा प्राप्ति एवं भुगतान नियम संख्या- 190 मे दी गई lapsed deposit को प्राप्त करने की प्र क्रया अपनाई जा सकती है।

अतः रु. 3.10 लाख की दावारहित (unclaimed) धनरा श को नियानुसार राज्य के Consolidated Fund मे जमा नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

स्टैन

प्रस्तर–2 रु0 197.54 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 45,428 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा बच्चों/किशोर–किशोरियों की स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार को दृष्टिगत रखते हुए फरवरी 2013 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार नवजात से लेकर 18 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार लक्षित समूह की स्वास्थ्य जॉच का कार्य (i) नवजात से लेकर 6 सप्ताह तक के बच्चों की स्वास्थ्य जॉच एवं उनमें बीमारियों की पहचान प्रत्येक सरकारी प्रसव केन्द्र पर कार्यरत स्टाफ के द्वारा तथा आशा कार्यकत्री के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में घर–घर भ्रमण कर, (ii) 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों का वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर तथा (iii) 6 से 18 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों जो सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान का कार्य ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा विद्यालयों में भ्रमण कर किया जाना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्वास्थ्य टीमों द्वारा जनपद नैनीताल में स्थित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं स्कूलों में पूर्ण भ्रमण नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2016–17 में आंगनबाडी के 22,920 एवं विद्यालयों के 22,508 छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान नहीं की गयी। जबकि वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 197.54 लाख व्यय किया गया। विगत वर्ष 2015–16 में स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान किए जाने से आंगनबाडी के 8,192 एवं विद्यालयों के 37,814 छात्र–छात्राऐं छूट गयी थी। स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारियों की पहचान से छूट गये बच्चों एवं छात्र– छात्राओं की सूची न तो कार्यालय के पास उपलब्ध थी एवं न ही ऐसा कोई अभिलेख मौजूद था जो यह पुष्टि करें कि अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कि नहीं। इस प्रकार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 197.54 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी ब्लाक स्तरीय मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा कार्यक्रम के अनुसार नियमित भ्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण योजना के शत–प्रतिशत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि वर्षाकाल में सडकें बाधित होने एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए गये तथा छूट गये बच्चों के सम्बन्ध में बताया कि भविष्य में अभिलेख रखकर आगामी भ्रमण में ध्यान रखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रु0 197.54 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 45,428 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न हो पाना कहीं–न–कहीं विभाग की विफलता है।

अतः रु0 197.54 लाख ब्यय किए जाने के बावजूद भी 45,428 बच्चों एवं छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
143 / 2006–07	1, 2 एवं 3	1, 2 एवं 3	–
143 / 2007–08	1	1 एवं 2	–
125 / 2012–13	–	2, 3, 4, 5 एवं 6	–
106 / 2016–17	–	1, 2, 3 एवं 4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
143 / 2006–07	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
143 / 2007–08	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
125 / 2012–13	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–6	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
106 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } पूर्व लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 एल0एम0 उप्रेती	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01.04.2014 से 01.05.2017
2.	डा0 एच0के0 जोशी	– तदैव –	01.05.2017 से 08.02.2018
3.	डा0 एम0एम0 तिवारी	– तदैव –	08.02.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.